

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

07759 221288 फॉक्स नं. 07759 221929 पो.नां. नं. 12 पिन कोड 496077

korbamunicipal.in

Email-Corporationkorba@gmail.com



प्रारूप-पांच

(देखिये नियम-12)

कालोनी (भूखण्ड) विकास अनुमति

फा.क./भवन निर्माण/2018-19/20189

कोरबा,दिनांक 11/02/2019

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अन्वये रहते हुये कालोनाईजर मेसर्स सृजन बिल्डर्स, भागीदार-श्री अशोक अग्रवाल पिता स्व. श्री रसिक बिहारी अग्रवाल, सर्वमंगला भवन निहारिका कोरबा को प.ह.नं. 18/26,रा.नि.मं. कटघोरा तहसील कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.) वार्ड क. 51 ग्राम लाटा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 17/3,19,30/1,30/2,28,29/1 का भाग कुल 06 खसरा कुल रकबा 144.316 वर्गफीट (3.31एकड़) में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के विकास अनुज्ञा क. 1413/1417 दिनांक 31.12.2018 अनुसार आवारसीय भूखण्ड (63 नग)के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भू सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा क्रमांक 1413/1417 दिनांक 31.12.2018 के शर्तों का पालन करना होगा।
3. छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
4. कमजोर वर्ग के भू-खण्डों/ भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा।
5. नजूल अधिकारी,कोरबा द्वारा दी गई अनापत्ति में निहित शर्तों का पालन करना होगा।
6. विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात् भू-खण्डों का व्ययन सक्षम अधिकारी से विक्रय अनुमति लेने के पश्चात् करेंगे।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर रिचार्ज इत्यादि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. अग्नि शमन संयंत्र हेतु प्रावधान रखना होगा।
9. सौर ऊर्जा से संचालित गर्म जल संयंत्र एवं सोलर लाईट लगाना अनिवार्य होगा।
10. आंतरिक विकास कार्य करने हेतु विकास अनुज्ञा में स्वीकृत कुल 63 भूखण्डों में से बंधक रखे गये 10 प्रतिशत (15) भूखण्ड क. (23,28,32,33,51,56,60,64,65,66) का विक्रय पूर्णतः अवैधानिक होगा इनका विक्रय आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने एवं बंधक रखे गये भूखण्डों को मुक्त करने के पश्चात् ही करना होगा।



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फॅक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 विन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

(2)

11. बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य स्वयं करना होगा । बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार शुल्क (बाह्य विकास) का भुगतान नगर पालिक निगम कोरबा को करना होगा ।
12. भूमि स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में प्रदत्त विकास अनुज्ञा स्वयमेव प्रतिराहत मानी जायेगी ।
13. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करने पर यह अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी जिसकी रागरत जिम्मेदारी आपकी होगी ।



भवन अधिकारी,
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ. ग.)
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा,दिनांक

पृष्ठांक./भवन निर्माण/2018-19/

प्रतिलिपि :-

उप पंजीयक,कोरबा/कटघोरा को कुल 63 भूखण्डों में से बंधक रखे गये 15 प्रतिशत भूखण्ड क. (23,28,32,33,51,56,60,64,65,66) भूखण्डों का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने एवं बंधक मुक्त होने के पश्चात ही पंजीयन करने के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

